रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 941] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2017/कार्तिक 30, 1939
No. 941] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2017/KARTIKA 30, 1939

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2017

सा.का.नि.1436(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, आशुलिपिक श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, आशुलिपिक श्रेणी-I समूह 'ख' भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति -**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक (श्रेणी-I)	20* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण, केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, सचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रु) में स्तर 6	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति- जिसने वेतन मैट्रिक्स (25500-81100) में स्तर-4 आशुलिपिक श्रेणी-II प्रवर्तन निदेशालय में उस पद पर दस साल की नियमित सेवा की है। टिप्पण:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा,	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. प्रवर्तन निदेशक - अध्यक्ष 2. विशेष या अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक - सदस्य 3. निदेशक या उप-सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग - सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:- 1. प्रवर्तन निदेशक - अध्यक्ष 2. विशेष या अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक - सदस्य 3. निदेशक या उप-सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी - (1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हों; या (2) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु.) में स्तर 4 या समतुल्य पद पर दस साल की नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :-** प्रतिनियुक्ति की अवधि (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है(इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :-** प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं.ए.- 12018/2/2017-प्रशा. ई.डी.]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2017

G.S.R. 1436(E) .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, namely :-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Stenographer Grade-I, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-I.	20* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-II in level 4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade in the Directorate of Enforcement. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations, — (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten years regular service in level 4 (Rs 25500-81100) in the pay matrix or equivalent. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** (1) Director of Enforcement-Chairperson; (2) Special or Additional Director of Enforcement-Member; (3) Director or Deputy Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance-Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: —** (1) Director of Enforcement – Chairperson; (2) Special or Additional Director of Enforcement-Member; (3) Director or Deputy Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance-Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F.No.A-12018/2/2017-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.27 19:54:36 +05'30'